उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 49वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 20.08.2019

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.08.2019 को सम्पन्न हुई 49वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा — अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा — सदस्य / सचिव
3. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) — सदस्य
4. श्री प्रभान्शु श्रीवास्तव, विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) — सदस्य
5. श्री अभय कुमार, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण) — सदस्य
6. श्री नीति द्विवेदी, निदेशक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) — सदस्य
7. श्री एन0 के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) — सदस्य

विशेष आमंत्री:–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. डा0 अरविन्द भारती, रक्षा सलाहकार, (डिफेन्स कॉरिडोर) यूपीडा।
4. श्री जगतराज, सलाहकार, (डिफेन्स कॉरिडोर) यूपीडा।
5. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री जे0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
7. श्री रवीन्द्र गोडबोले, नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे), यूपीडा।
8. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन) यूपीडा।
9. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
10. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
12. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाइकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
13. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
14. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
15. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
16. श्री राम अवतार सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक (वन), यूपीडा।
17. डा0 अखलाख हुसैन, प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा
18. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
19. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 48वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.06.2019 सम्पन्न हुई 48वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गयाः–

कार्यवाही / निर्णयः–

निदेशक मण्डल द्वारा 48वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.06.2019 को सम्पन्न 48वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गयाः–

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.06.2019 को सम्पन्न हुई 48वी बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत औद्योगिक भूमि आवंटन की प्रस्तावित गाइडलाईन / प्रक्रिया का अनुमोदनः–

कार्यवाही / निर्णय इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक भूमि आवंटन की प्रस्तावित नियमावली में आवंटन समिति में निम्न सदस्यों को रखा जाना अनुमोदित किया गया है :–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. वित्त नियंत्रक
3. वरिष्ठ रक्षा सलाहकार
4. रक्षा विशेषज्ञ
5. सलाहकार (डिफेन्स कॉरिडोर)
6. विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन)
7. वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल)

उक्त के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा एक समीति का गठन किया गया है, यह समीति एक सप्ताह में बैठक कर भूमि आवंटन के लिये मानक निर्धारित करेगी, जिसका समावेश आवंटन नियमावली में किया जायेगा। समिति के सदस्य निम्नवत् है :–

1. विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा
3. वित्त नियत्रंक, यूपीडा
4. अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन
5. रक्षा विशेषज्ञ, यूपीडा
6. सलाहकार (डिफेन्स कॉरिडोर), यूपीडा

अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा रक्षा विशेषज्ञ डा0 अरविन्द भारती को निर्देशित किया गया कि वे डिफेन्स सेक्टर में कार्य करने वाली संस्थाओं के लिये रिलेवेन्ट डिफेन्स सेक्टर अनुभव के मानव तैयार कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगें।

एजेण्डा बिन्दु–04:– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ, लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका सं0–1573(एम0एस0)/2019 लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी/ग्राम पंचायत भटवारा, लखनऊ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका सं0–1170(एम0एस0)/2019 लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी/ग्राम पंचायत सिद्धपुरा, लखनऊ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका सं0–1999(एम0एस0)/2019 लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी/ग्राम पंचायत खुजौली, लखनऊ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2019 के अनुपालन विषयक :–

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उपरोक्त से सहमत होते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु–05:– अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदनः–

कार्यवाही/निर्णय यूपीडा में नियोजित संविदा कर्मियों के कार्य काल बढाये जाने के सम्बन्ध में सदस्य औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यह जिज्ञासा की गई कि सभी कर्मियों को एक समान्य सेवा विस्तार एक वर्ष का दिया जाना चाहिए। अलग अलग अवधि का विचार उचित प्रतीत नहीं होता। उक्त पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि परियोजना की आवश्यकताओं एवं पद धारक की सेवाओं की भविष्य में आवश्यकताओं के दृष्टिगत कार्य काल बढ़ाया जाता है, सामान्यतः वरिष्ठ पदो पर तैनात अधिकारी का कार्य काल समान्यतः एक वर्ष ही रखा जाता है।

एजेण्डा बिन्दु–06:– 47 वीं निदेशक मण्डल की बैठक में निर्णय अनुसार संविदा पदों पर पद धारकों के चयन हेतु "चयन नीति" का अनुमोदन :–

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा संविदा के पदों पर निर्धारित चयन नीति से अवगत होते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस नियमावली को यूपीडा की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जायें।

एजेण्डा बिन्दु–07 गोरखपुर लिंक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के विस्तृत आगणन का व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन–

गोरखपुर लिंक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना का आगणन, परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त दि0 28.02.2019 को व्यय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। व्यय वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्देश दिये कि परियोजना लागत का प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित कर परीक्षण करा लिया जाये एवं मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार परियोजना का रोड सेफ्टी ऑडिट भी करा लिया जाये।

उपरोक्त निर्देशों के कम में परियोजना का परीक्षण प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा करा लिया गया एवं परियोजना के लिये रोड सेफ्टी ऑडिट भी करा ली गयी एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों को परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया है। तदोपरान्त परियोजना लागत को व्यय वित्त समिति के अनुमोदन हेतु दि0 04.07.2019 को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। व्यय वित्त समिति द्वारा परियोजना लागत को निम्नवत अनुमोदित किया गयाः–

पैकेज सं0	चैनेज	लम्बाई (किमी0)	सिविल लागत (करोड़ में)	कुल लागत (करोड़ में)
1	चै: किमी0 (–) 0+817 से चै: किमी0 47+500 तक	48.317	1892.81	3791.43
2	चै: किमी0 47+500 से चै: 90+535 तक	43.035	1213.18	2085.25
		91.352	**3105.99**	**5876.68**

उपरोक्त विवरण निदेशक मण्डल के संज्ञान लाये जाने हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही/निर्णय प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **गोरखपुर लिंक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना हेतु तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता, स्टाफ के मुख्यालय का निर्धारण तथा फील्ड स्टाफ को अनुमन्य भवन, वाहन, फर्नीचर आदि का निर्धारणः–**

गोरखपुर लिंक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के निर्माण हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई है जो निकट भविष्य मे प्राप्त किया जाना लक्षित है। गोरखपुर लिंक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना एक्सप्रेसवे के कार्य हेतु परियोजना को 02 पैकेजों में विभक्त किया जाना प्रस्तावित है जिसकी डी.पी.आर. व्यय वित्त समिति से अनुमोदित हो चुकी है तथा आर.एफ.पी. बिड डाक्यूमेंट निविदा मूल्यांकन समिति एवं सचिव समिति से अनुमोदित किये जा चुके है। इस परियोजना के कियान्वयन हेतु 02 पी.आई.यू. को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक पी.आई.यू. में 01 अधिशासी अभियन्ता/ वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), 02 सहायक अभियन्ता/ प्रबन्धक (सिविल), 03 अवर अभियन्ता/ सहायक प्रबन्धक (सिविल) के साथ पूर्वांचल एक्सप्रसवे में अनुमोदित स्टाफ के अनुरुप सपोर्टिंग स्टाफ के रुप में 01 कम्प्यूटर आपरेटर, 01 कैशियर कम अकाउन्टेन्ट, 02 लिपिक, 01 रिकॉर्डकीपर 04 चपरासी व 03 चौकीदार व 01 स्वीपर की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पी.आई.यू. में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु गठित पी.आई.यू. के समान पूर्व में अनुमन्य क्षेत्रफल का कार्यालय, वाहन व अन्य कार्यालय फर्नीचर मय कम्प्यूटर सिस्टम, जनरेटर एवं फोटोकॉपी मशीन आदि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का यूपीडा की ओर से सुपरविजिन एवं गुणता नियत्रण के लिये प्रस्तावित 02 न0 पी0आई0यू0 (फील्ड ऑफिस) हेतु तकनीकी स्टाफ का विवरण निम्नवत् है–

1. अधिशासी अभियन्ता– 02 (01 प्रति पैकेज)
2. सहायक अभियन्ता– 04 (02 प्रति पैकेज)
3. अवर अभियन्ता– 06 (03 प्रति पैकेज)

स्थापित किये जाने वाले पी0आई0यू0 एवं उनके मुख्यालय का विवरण निम्नवत् है:–

पी0आई0यू0	प्रस्तावित मुख्यालय	चैनेज	कहां से कहां तक	लम्बाई (किमी0)
1	गोरखपुर	चै: किमी0 (–) 0+817 से चै: किमी0 47+500 तक	From Gorakhpur Bypass NH-27 Near, Jaitpur (Distt. Gorakhpur) to Fulwariya (Distt. Ambedkar nagar)	48.317
2	आजमगढ़	चै: किमी0 47+500 से चै: 90+535 तक	From Fulwariya (Distt. Ambedkar nagar) to Purvanchal expressway (Distt. Azamgarh)	43.035

बोर्ड उपरोक्त प्रस्तावित पी.आई.यू. मुख्यालयों पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान करना चाहे एवं प्रत्येक पी.आई.यू. में तकनीकी व अन्य सहायक स्टाफ को तैनात करने, लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति/संविदा पर लेने हेतु, स्थानान्तरित करने आदि के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को अधिकृत करना निवेदित है।

(अ) सहायक स्टाफ की आवश्यकता–

कार्यालय के सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक पी.आई.यू. में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अनुमोदित स्टाफ के अनुरुप निम्नवत् स्टाफ की आवश्यकता होगी:–

कम सं0	सहायक स्टाफ का विवरण	आवश्यक संख्या	अनुमानित प्रतिमाह दर	अनुमानित मासिक व्यय भार
1	लिपिक	2	20,000	40,000
2	लेखाकार कम कैशियर (संविदा पर)	1	राजकीय विभाग से सेवानिवृत्त (25000)	25000
3	रिकॉर्ड कीपर	1	20,000	20,000
4	चपरासी	4	12,000	48,000
5	चौकीदार	3	12,000	36,000
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	20,000	20,000
7	स्वीपर (अंशकालिक)	1	260 रू0 (प्रतिदिन)	7800
	योग–			1,96,800

प्रत्येक पी.आई.यू. में एक लेखाकार कम कैशियर की नियुक्ति किसी राजकीय विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी का किया जाना प्रस्तावित है।

सभी स्टाफ संविदा पर रखा जाना प्रस्तावित है तथा दरों में ठेकेदार का लाभांश भी सम्मिलित है। स्वीपर की दरें लो0नि0वि0 के एस.ओ.आर. के आधार पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर मूल्य वृद्धि सम्मिलित करते हुये ली गयी है। वास्तविक दरें बाजार दरों के अनुसार होंगी।

(ब) कार्यालय भवन की आवश्यक्ता

पी.आई.यू. हेतु प्रस्तावित स्थलों पर कार्यालय की स्थापना हेतु निजी भवन किराये पर लिये जाने होंगे। शासनादेश सं0 5663CE/XXIII-PWC-49CB/64 दि0 30.11.1964 द्वारा विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवश्यक कार्यालय क्षेत्रफल की व्यवस्था निश्चित की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक पी.आई.यू. हेतु न्यूनतम 1600 Sqft कार्पेट एरिया के भवन की आवश्यकता होगी। आवश्यक भवन क्षेत्रफल की गणना निम्नलिखित तालिका में दर्शित है–

कम सं0	अधिकारियों/ कर्मचारियों का पदनाम	अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	आवश्यक क्षेत्रफल प्रत्येक हेतु (Sqft में)	आवश्यक क्षेत्रफल (Sqft में)
1	अधिशासी अभियन्ता	1	250	250
2	सहायक अभियन्ता	2	150	300
3	अवर अभियन्ता	3	40	120
4	लिपिक, लेखाकार कम कैशियर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं रिकार्डकीपर	5	40	200
5	मीटिंग/आगन्तुक कक्ष	1	500	500
6	चपरासी	4	20	80
7	रिकॉर्ड रुम	1	150	150
			कुल	1600

भवनों के किराये का निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश सं0 ए–2–1092/दस–2011–24(7)/95 दि0 25.11.2011 द्वारा किया गया है, यह दरें लखनऊ के लिए 20 रू0/वर्ग फीट, मण्डल मुख्यालय जनपदों के लिए 10 रू0/वर्ग फीट एवं 1 लाख जनसंख्या से ऊपर के नगरों के लिए 8 रू0/वर्ग फीटकार्पेट एरिया दी गयी है।

चूंकि ये दरें 07 वर्ष पुरानी है, अतः इनमें 08 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मूल्यवृद्धि जोड़ा जाना समीचिन होगा। विवरण निम्नानुसार तालिका में दर्शित है:–

क्रम सं0	कार्यालय स्थापित किये जाने वाले शहर का नाम	कार्यालय हेतु आवश्यक भवनका क्षेत्रफल	किराये की दर प्रति वर्ग फुट	8 प्रतिशत/वर्ष की दर से मूल्य वृद्धि सम्मिलित करने पर किराया प्रति वर्ग फुट	किराये की कुल धनराशि प्रतिमाह (रू0)
1	गोरखपुर	1600	10	15.60	24960
2	आजमगढ़	1600	10	15.60	24960

भवनों के किराये का अनुबंध वास्तविक बाजार भाव के अनुसार होगा।

(स) कार्यालय हेतु आवश्यक फर्नीचर व अन्य साज सज्जा आदिः–

कार्यालय स्थापित करने हेतु निम्नांकित दर्शित फर्नीचर व साज–सज्जा की आवश्यकता होगी। फर्नीचर की दरें गोदरेज कम्पनी की ली गयी हैं, अन्य T&P व साज–सज्जा आदि की दरें बाजार भाव के आधार पर प्रतिष्ठित कम्पनी की ली गयी है।

प्रत्येक पी0आई0यू0 हेतुः–

क्रम सं0	विवरण	संख्या	दर प्रति नग	धनराशि (रू0 में)
1	टेबल गोदरेज में कमाइस्ट्रो	1	40000	40000
2	कुर्सी अल्टिमा एक्सीड	1	30000	30000
3	कुर्सी लेथरीटकुशन	32	4000	128000
4	सोफा चार सीटर सेन्ट्रल टेबल सहित	1	50000	50000
5	अलमीरा माइनर प्लेन	4	18000	72000
6	ओपेनबुक शेल्फ 2 डोर बुक केस	2	16000	32000
7	मेज टी–104	2	25000	50000
8	कुर्सी ब्रावो हाईबैक	2	10000	20000
9	मेज टी–101	6	14000	84000
10	क्लोज कैबिनेट 4 ड्रॉर	2	21000	42000
11	अलमीरा स्टोर वेल प्लेन	2	24000	48000
12	कम्प्यूटर मेज कम्पैनियन सी–13	2	9000	18000
13	सीटिंग बैच	1	11000	11000
14	टेलीफोन/ब्रांडबैन्ड कनेक्शन	1	6900	6900
15	डेस्कटाप कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस.	2	92000	184000
16	एअर कंडीशनर, स्टेब्लाइजर	1	52000	52000
17	इन्वर्टर 1500 केवीए	2	28750	57500
18	वाटरकूलर	1	36800	36800
19	सीलिंग फैन	6	1600	9600
20	ट्यूबलाइट	10	700	7000

21	सीएफएल	10	300	3000
22	डेजर्ट कूलर	5	6000	30000
23	बिजली कनेक्शन	1	24000	24000
24	पर्दे	एकमुश्त	30000	30000
25	आर.ओ.	1	27600	27600
26	जनरेटर	15 केवीए	350000	350000
27	फोटोकॉपी मशीन	1	80000	80000
			योग	1523400

उपरोक्त का व्यय प्रत्येक पी0आई0यू0 हेतु एकमुश्त कार्यालय स्थापना हेतु किया जाना आवश्यक है, जिसका अनुमोदन वांछित है।

(द) कार्यालय संचालन हेतु प्रतिमाह व्यय की विविध मदें:–

प्रत्येक पी0आई0यू0 के कार्यालय सचालन हेतु प्रतिमाह निम्नानुसार धनराशि की आवश्यकता होगी:–

कम सं0	मद का नाम	संख्या	दर	धनराशि (रू0 में)
1	बिजली व्यय	1	15000	15000
2	टेलीफोन व इन्टरनेट व्यय	1	3000	3000
3	वाहन व्यय	3	48000	144000
4	कम्प्यूटर अनुरक्षण	2	1000	2000
5	कम्प्यूटर स्टेशनरी/प्रिंट कार्टेज इत्यादि	2	3500	7000
6	कार्यालय स्टेशनरी	1	1500	1500
7	फोटो कापी	1	1500	1500
8	पोस्टल व्यय	1	1500	1500
9	आर.ओ. सर्विस अनुरक्षण	1	1000	1000
10	प्रकीर्ण धनराशि	1	25000	25000
			योग	201500

प्रत्येक पी.आई.यू. कार्यालय के संचालन हेतु उपरोक्तानुसार सहायक स्टाफ को संविदा पर रखने, भवन किराये पर लेने, फर्नीचर व साज–सज्जा का क्रय करने, वाहन व विविध मदों का अनुमन्य करने का अनुमोदन निवेदित है तथा उपरोक्तानुसार सहायक स्टाफ को संविदा पर रखने, भवन किराये पर लेने, फर्नीचर व साज–सज्जा का क्रय, वाहन किराये पर रखने आदि विविध मदों हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाना भी निवेदित है।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों को मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल) को प्रस्ताव से अवगत कराया गया। सदस्य औद्योगिक विकास द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रस्ताव में फर्नीचर एवं साज–सज्जा जो व्यय आगणन जैम पोर्टल की दरो पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल) ने अवगत कराया कि समस्त क्रय जैम पोर्टल के आधार पर ही की जाती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह भी व्यवस्था दी कि मितव्ययिता के दृष्टिगत पूर्व योजनाओं के उपकरण का प्रयोग करते हुये शेष क्रय की कार्यवाही जैम पोर्टल के माध्यम से की जाये।

प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–09:– **बुन्देलखण्ड प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के विस्तृत आगणन का व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदनः–**

बुन्देलखण्ड प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना का आगणन, परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त दि0 28.02.2019 को व्यय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। व्यय वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्देश दिये कि परियोजना लागत का प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित कर परीक्षण करा लिया जाये एवं मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार परियोजना का रोड सेफ्टी ऑडिट भी करा लिया जाये।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में परियोजना का परीक्षण प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा करा लिया गया एवं परियोजना के लिये रोड सेफ्टी ऑडिट भी करा ली गयी एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों को परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया है। तदोपरान्त परियोजना लागत को व्यय वित्त समिति के अनुमोदन हेतु दि0 04.07.2019 को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। व्यय वित्त समिति द्वारा परियोजना लागत को निम्नवत अनुमोदित किया गयाः–

पैकेज सं0	चैनेज	लम्बाई (किमी0)	सिविल लागत (करोड़ में)	कुल लागत (करोड़ में)
1	चैः किमी0 (–) 0+790 से चैः किमी0 49+700 तक	50.49	1494.16	2399.86
2	चैः किमी0 49+700 से चैः 100+00 तक	50.30	1459.81	2517.21
3	चैः 100+00 से चैः किमी0 149+000 तक	49.00	1217.46	1931.24
4	चैः किमी0 149+000 से चैः 200+000 तक	51.00	1579.02	2613.11
5	चैः किमी0 200+000 से चैः 250+000 तक	50.00	1551.27	2710.82
6	चैः किमी0 250+000 से चैः 295+280 तक	45.28	1567.80	2676.85
		296.07	**8869.52**	14849.09

उपरोक्त विवरण निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

कार्यवाही/निर्णय प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–10:– **बुन्देलखण्ड प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना हेतु तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता, स्टाफ के मुख्यालय का निर्धारण तथा फील्ड स्टाफ को अनुमन्य भवन, वाहन, फर्नीचर आदि का निर्धारणः–**

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई है जो निकट भविष्य मे प्राप्त किया जाना लक्षित है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के कार्य हेतु परियोजना को 06 पैकेजों में विभक्त किया जाना प्रस्तावित है जिसकी डी.पी.आर. व्यय वित्त समिति से अनुमोदित हो चुकी है तथा आर.एफ.पी. बिड डाक्यूमेंट निविदा मूल्यांकन समिति एवं सचिव समिति से अनुमोदित किये जा चुके है। इस परियोजना के कियान्वयन हेतु 06 पी.आई.यू को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक पी.आई.यू. मे 01 अधिशासी अभियन्ता/ वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), 02 सहायक अभियन्ता/ प्रबन्धक (सिविल), 03 अवर अभियन्ता/ सहायक प्रबन्धक (सिविल) के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मे अनुमोदित स्टाफ के अनुरुप सपोर्टिंग स्टाफ के रुप मे 01 कम्प्यूटर आपरेटर, 01 कैशियर कम अकान्टेन्ट, 02 लिपिक, 01 रिकॉर्डकीपर 04 चपरासी व 03 चौकीदार व 01 स्वीपर की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पी.आई.यू. मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु गठित पी.आई.यू. के समान पूर्व में अनुमन्य क्षेत्रफल का कार्यालय, वाहन व अन्य कार्यालय फर्नीचर मय कम्प्यूटर सिस्टम, जनरेटर एवं फोटोकॉपी मशीन आदि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना का यूपीडा की ओर से सुपरविजिन एवं गुणता नियंत्रण के लिये प्रस्तावित 06 नं0 पी0आई0यू0 (फील्ड ऑफिस) हेतु तकनीकी स्टाफ का विवरण निम्नवत् है:–

4. अधिशासी अभियन्ता– 06 (01 प्रति पैकेज)
5. सहायक अभियन्ता– 12 (02 प्रति पैकेज)
6. अवर अभियन्ता– 18 (03 प्रति पैकेज)

स्थापित किये जाने वाले पी0आई0यू0 एवं उनके मुख्यालय का विवरण निम्नवत् है:–

पी0आई0यू0	प्रस्तावित मुख्यालय	चैनेज	कहां से कहां तक	लम्बाई (किमी0)
1	बांदा	चै: किमी0 (–) 0+790 से चै: किमी0 49+700 तक	From Gonda (Distt. Chitrakoot) to Mahokhar (Distt. Banda)	50.49
2	बांदा	चै: किमी0 49+700 से चै: 100+00 तक	From Mahokhar (Distt. Banda)to Kaohari (Distt. Mahoba)	50.30
3	राठ	चै: 100+00 से चै: किमी0 149+000 तक	From Kaohari (Distt. Mahoba) to Barolikharka (Distt. Hamirpur)	49.00
4	उरई	चै: किमी0 149+000 से चै: 200+000 तक	From Barolikharka (Distt. Hamirpur) to Saalabad (Distt. Jalaun)	51.00
5	उरई	चै: किमी0 200+000 से चै: 250+000 तक	From Saalabad (Distt. Jalaun) to Bakhariya (Distt. Auraiya)	50.00
6	औरैया	चै: किमी0 250+000 से चै: 295+280 तक	From Bakhariya (Distt. Auraiya) to Kudrail (Distt. Etawah)	45.28

बोर्ड उपरोक्त प्रस्तावित पी.आई.यू. मुख्यालयों पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान करना चाहे एवं प्रत्येक पी.आई.यू. में तकनीकी व अन्य सहायक स्टाफ को तैनात करने, लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति/संविदा पर लेने हेतु, स्थानान्तरित करने आदि के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को अधिकृत करना निवेदित है।

यह भी संज्ञान में लाया कि यूपीडा द्वारा संविदा पर महाप्रबंधक (सिविल), वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल), प्रबंधक (सिविल) एवं सहायक प्रबंधक (सिविल) के पदों पर 23 अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी, जिनमें से 01 महाप्रबंधक, 02 वरिष्ठ प्रबंधक, 07 प्रबंधक, 04 सहायक प्रबंधक ने अपनी योगदान आख्या यूपीडा को प्राप्त करा दी गयी है, जिसमें 01 प्रबंधक द्वारा दि0 16.09.2019 को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति मांगी गयी है।

(अ) सहायक स्टाफ की आवश्यकता–

कार्यालय के सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक पी.आई.यू. में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अनुमोदित स्टाफ के अनुरुप निम्नवत् स्टाफ की आवश्यकता होगी:–

कम सं0	सहायक स्टाफ का विवरण	आवश्यक संख्या	अनुमानित प्रतिमाह दर	अनुमानित मासिक व्यय भार
1	लिपिक	2	20,000	40,000
2	लेखाकार कम कैशियर (संविदा पर)	1	राजकीय विभाग से सेवानिवृत्त (25000)	25000
3	रिकॉर्ड कीपर	1	20,000	20,000
4	चपरासी	4	12,000	48,000
5	चौकीदार	3	12,000	36,000
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	20,000	20,000
7	स्वीपर (अंशकालिक)	1	260 रू0 (प्रतिदिन)	7800
		योग–		1,96,800

प्रत्येक पी.आई.यू. में एक लेखाकार कम कैशियर की नियुक्ति किसी राजकीय विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी का किया जाना प्रस्तावित है।

सभी स्टाफ संविदा पर रखा जाना प्रस्तावित है तथा दरों में ठेकेदार का लाभांश भी सम्मिलित है। स्वीपर की दरें लो0नि0वि0 के एस.ओ.आर. के आधार पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर मूल्य वृद्धि सम्मिलित करते हुये ली गयी है। वास्तविक दरें बाजार दरों के अनुसार होंगी।

(ब) कार्यालय भवन की आवश्यक्ता

पी.आई.यू. हेतु प्रस्तावित स्थलों पर कार्यालय की स्थापना हेतु निजी भवन किराये पर लिये जाने होंगे। शासनादेश सं0 5663CE/XXIII-PWC-49CB/64 दि0 30.11.1964 द्वारा विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवश्यक कार्यालय क्षेत्रफल की व्यवस्था निश्चित की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक पी.आई.यू. हेतु न्यूनतम 1600 Sqft कार्पेट एरिया के भवन की आवश्यकता होगी। आवश्यक भवन क्षेत्रफल की गणना निम्नलिखित तालिका में दर्शित है–

कम सं0	अधिकारियों/ कर्मचारियों का पदनाम	अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	आवश्यक क्षेत्रफल प्रत्येक हेतु (Sqft में)	आवश्यक क्षेत्रफल (Sqft में)
1	अधिशासी अभियन्ता	1	250	250
2	सहायक अभियन्ता	2	150	300
3	अवर अभियन्ता	3	40	120
4	लिपिक, लेखाकार कम	5	40	200

	कैशियर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं रिकार्डकीपर			
5	मीटिंग/आगन्तुक कक्ष	1	500	500
6	चपरासी	4	20	80
7	रिकॉर्ड रुम	1	150	150
			कुल	1600

भवनों के किराये का निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश सं0 ए–2–1092/दस–2011–24(7)/95 दि0 25.11.2011 द्वारा किया गया है, यह दरें लखनऊ के लिए 20 रू0/वर्ग फीट, मण्डल मुख्यालय जनपद के लिए 10 रू0/वर्ग फीट एवं 1 लाख जनसंख्या से ऊपर के नगरों के लिए 8 रू0/वर्ग फीटकार्पेट एरिया दी गयी है।

चूंकि ये दरें 07 वर्ष पुरानी है, अतः इनमें 08 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मूल्यवृद्धि जोड़ा जाना समीचिन होगा। विवरण निम्नानुसार तालिका में दर्शित है:–

क्रम सं0	कार्यालय स्थापित किये जाने वाले शहर का नाम	कार्यालय हेतु आवश्यक भवनका क्षेत्रफल	किराये की दर प्रति वर्ग फुट	8 प्रतिशत/वर्ष की दर से मूल्य वृद्धि सम्मिलित करने पर किराया प्रति वर्ग फुट	किराये की कुल धनराशि प्रतिमाह (रू0)
1	बांदा	1600	08	12.50	20000
2	बांदा	1600	08	12.50	20000
3	राठ	1600	08	12.50	20000
4	उरई	1600	08	12.50	20000
5	उरई	1600	08	12.50	20000
6	औरैया	1600	08	12.50	20000

भवनों के किराये का अनुबंध वास्तविक बाजार भाव के अनुसार होगा।

(स) कार्यालय हेतु आवश्यक फर्नीचर व अन्य साज सज्जा आदिः–

कार्यालय स्थापित करने हेतु निम्नांकित दर्शित फर्नीचर व साज–सज्जा की आवश्यकता होगी। फर्नीचर की दरें गोदरेज कम्पनी की ली गयी हैं, अन्य T&P व साज–सज्जा आदि की दरें बाजार भाव के आधार पर प्रतिष्ठित कम्पनी की ली गयी है।

प्रत्येक पी0आई0यू0 हेतुः–

क्रम सं0	विवरण	संख्या	दर प्रति नग	धनराशि (रू0 में)
1	टेबल गोदरेज में कमाइस्ट्रो	1	40000	40000
2	कुर्सी अल्टिमा एक्सीड	1	30000	30000
3	कुर्सी लेथरीटकुशन	32	4000	128000
4	सोफा चार सीटर सेन्ट्रल टेबल सहित	1	50000	50000
5	अलमीरा माइनर प्लेन	4	18000	72000
6	ओपेनबुक शेल्फ 2 डोर बुक केस	2	16000	32000
7	मेज टी–104	2	25000	50000
8	कुर्सी ब्रावो हाईबैक	2	10000	20000
9	मेज टी–101	6	14000	84000
10	क्लोज कैबिनेट 4 ड्रॉर	2	21000	42000
11	अलमीरा स्टोर वेल प्लेन	2	24000	48000
12	कम्प्यूटर मेज कम्पैनियन सी–13	2	9000	18000

13	सीटिंग बैच	1	11000	11000
14	टेलीफोन/ब्रांडबैन्ड कनेक्शन	1	6900	6900
15	डेस्कटाप कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस.	2	92000	184000
16	एअर कंडीशनर, स्टेब्लाइजर	1	52000	52000
17	इन्वर्टर 1500 केवीए	2	28750	57500
18	वाटरकूलर	1	36800	36800
19	सीलिंग फैन	6	1600	9600
20	ट्यूबलाइट	10	700	7000
21	सीएफएल	10	300	3000
22	डेजर्ट कूलर	5	6000	30000
23	बिजली कनेक्शन	1	24000	24000
24	पर्दे	एकमुश्त	30000	30000
25	आर.ओ.	1	27600	27600
26	फोटोकॉपी मशीन	1	80000	80000
27	जनरेटर	15 केवीए	350000	350000
			योग	1523400

उपरोक्त का व्यय प्रत्येक पी0आई0यू0 हेतु एकमुश्त कार्यालय स्थापना हेतु किया जाना आवश्यक है, जिसका अनुमोदन वांछित है।

(द) कार्यालय संचालन हेतु प्रतिमाह व्यय की विविध मदें:–

प्रत्येक पी0आई0यू0 के कार्यालय सचालन हेतु प्रतिमाह निम्नानुसार धनराशि की आवश्यकता होगी:–

कम सं0	मद का नाम	संख्या	दर	धनराशि (रू0 में)
1	बिजली व्यय	1	15000	15000
2	टेलीफोन व इन्टरनेट व्यय	1	3000	3000
3	वाहन व्यय	3	48000	144000
4	कम्प्यूटर अनुरक्षण	2	1000	2000
5	कम्प्यूटर स्टेशनरी/प्रिंट कार्टेज इत्यादि	2	3500	7000
6	कार्यालय स्टेशनरी	1	1500	1500
7	फोटो कापी	1	1500	1500
8	पोस्टल व्यय	1	1500	1500
9	आर.ओ. सर्विस अनुरक्षण	1	1000	1000
10	प्रकीर्ण धनराशि	1	25000	25000
			योग	201500

प्रत्येक पी.आई.यू. कार्यालय के संचालन हेतु उपरोक्तानुसार सहायक स्टाफ को संविदा पर रखने, भवन किराये पर लेने, फर्नीचर व साज–सज्जा का क्रय करने, वाहन व विविध मदो को अनुमन्य करने का अनुमोदन निवेदित है तथा उपरोक्तानुसार सहायक स्टाफ को संविदा पर रखने, भवन किराये पर लेने, फर्नीचर व साज–सज्जा का क्रय, वाहन किराये पर रखने आदि विविध मदो हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाना भी निवेदित है।

कार्यवाही/निर्णय प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:– मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 17.08.219 तक संलग्न–1 पर स्थापित एवं यूपीडामें मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण।

विधि परामर्शी यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 04 वादों में एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में 03 वादों में शपथ पत्र तैयार कराया जा रहा है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि एक्सप्रेसवे परियोजना में केन्द्रीय महालेखाकार के संपरीक्षा दल द्वारा यह बात कही गई थी कि यूपीडा द्वारा विधि परामर्शी एवं अधिवक्ताओं पर अधिक व्यय किया जा रहा है, उन्हें निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया है, जिससे स्पष्ट होता है, कि परियोजना की लागत की तुलना में विधिक व्यय बहुत ही कम है एवं वे परियोजना का 0.0024 प्रतिशत से भी कम है। जिसके विवरण निम्नवत् हैः–

1. आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अनुमानित परियोजना लागत रू0 52150 करोड़ है। जबकि विधिक व्यय दो वर्षों में रू0 1.23 करोड़ लगभग रू0 60 करोड़ प्रति वर्ष हुआ है एवं यह व्यय परियोजना लागत का 0.0024 प्रतिशत अनुमानित है।
2. यह भी सूच्य है, कि पूर्व में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना में प्रत्येक वाद रू0 2 लाख प्रति वाद एवं रू0 12,000 अन्य व्यय का भुगतान किया जाता था। इस व्यय को कम किया गया है एवं वर्तमान में यह व्यय रू0 1•5 लाख से 1•7 लाख एवं रू0 12,000 अन्य व्यय है।

   मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे में भूमि–अर्जन से सम्बन्धित प्रचलित वादों एवं याचिकाओं में अभी तक यूपीडा के विरूद्ध कोई ऐसा आदेश निर्गत नहीं हुआ है, जिससे योजना का कार्य बाधित हो यह सुखद में बडी उपलब्धि है, क्योंकि योजना लागत बढ जाती है एवं उस वाद का प्रतिकूल प्रभाव अन्य लंबित वादों में पड़ सकता है, जिससे यूपीडा को बडी वित्तीय हानि सम्भावित है।
3. परियोजना के अनुबन्ध प्राविधानों के अनुसार विलम्ब होने पर पैनाल्टी की धनराशि परियोजना लागत का 0.05 प्रतिशत है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के परिप्रेक्ष्य में रू0 7.46 करोड़ प्रतिदिन है, जबकि पूरे वर्ष में विधिक व्यय रू0 60 लाख आता है, अतः स्पष्ट है, कि विधिक प्रकरण के त्वरित निस्तारण न होने पर परियोजना निर्माण प्रभावित होने पर आने वाला सम्भावित व्यय रू0 7.46 करोड़ से अधिक होगा। अतः उक्त से बचने के लिये सभी प्रकरणों का यूपीडा के स्तर से सतत् नियमित एवं सक्षम अनुश्रवण किया जाता है एवं वादों के पैरवी हेतु कुशल एवं योग्य अधिवक्ता ही नियोजित किये जाते है।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययः–

उ0प्र0 शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना तथा आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना, हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अनुदान स0–007 म

अनुपूरक मांग के माध्यम से आय–व्ययक का प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये निम्न बजट प्रावधान किया गया है जो निदेशक मण्डल के अवलोनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–

वित्तीय वर्ष 2019–20

अनुपूरक मांग के माध्यम से जो आय–व्ययक का प्रस्ताव भेजा है, वह सारभूत रूप में निम्नवत् है:

✓ पूर्वान्चल प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (धनराशि करोड़ में)

क0 सं0	मद	सम्भावित व्यय	वित्तीय संस्था से ऋण	शासन से मांग	बजट प्राविधान
1	भूमि क्रय हेतु	–	–	–	
2	निर्माण कार्य हेतु	3710.00	2686.00	1024.00	850.00
	कुल योगः–	3710.00	2686.00	1024.00	850.00

✓ बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना

क0 सं0	मद	सम्भावित व्यय	वित्तीय संस्था से ऋण	शासन से मांग	बजट प्राविधान
1	भूमि क्रय/अधिग्रहण हेतु	670.11		670.11	
2	निर्माण कार्य, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं अन्य व्यय हेतु	2490.00	1370.00	1120.00	1150.00
3	वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता	46.27		46.27	46.27
	कुल योगः–	3206.38	1370.00	1836.38	1196.27

✓ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना

क0 सं0	मद	सम्भावित व्यय	वित्तीय संस्था से ऋण	शासन से मांग	बजट प्राविधान
1	भूमि क्रय हेतु				
2	निर्माण कार्य हेतु	813.00	375.00	438.00	
3	वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता	12.70		12.70	12.70
	कुल योगः–	825.70	375.00	450.70	12.70

✓ गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

क0 सं0	मद	सम्भावित व्यय	वित्तीय संस्था से ऋण	शासन से मांग	बजट प्राविधान
1	परामर्शी सेवाओं में व्यय	15.00	–	15.00	15.00
	कुल योगः–	15.00	–	15.00	15.00

✓ एक्सप्रेसवे के साथ–साथ सेमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना

क0 सं0	मद	सम्भावित व्यय	वित्तीय संस्था से ऋण	शासन से मांग	बजट प्राविधान
1	परामर्शी सेवाओं में व्यय	15.08	–	15.08	
	कुल योगः–	15.08	–	15.08	

✓ आगरा–लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना

क0 सं0	मद	सम्भावित व्यय	वित्तीय संस्था से ऋण	शासन से मांग	बजट प्राविधान
1	निर्माण कार्य में अवशेष	82.30		82.30	
2	अनुरक्षण एवं अन्य व्यय	75.13		75.13	
3	15 स्थलों पर पुलिस चौकियों के	26.19		26.19	

	भवन–निर्माण हेतु			
4	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा एवं यातायात की सुरक्षा हेतु	80.69		80.69
	कुल योगः–	264.31		264.31

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुति व्यक्त की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में उपलब्ध धनराशि में से पुर्नविनियोग के माध्यम से आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माणकर्ताओं को अवशेष भुगतान एवं अनुरक्षण हेतु व्यय की जाने वाली अवशेष धनराशि का भुगतान किये जाने के संदर्भ में:–**

अवगत कराना है उ0प्र0 सरकार की शीर्षस्थ प्राथमिकता वाली परियोजना आगरा – लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2014 के शासनादेश संख्या 1763/77–3–14–259 (एम)/2014 शासनादेश संख्या–979/77–3–15–67 (एम)/15 दिनांक 29.05.2015, एवं शासनादेश संख्या– 1483/77–3–15–259 (एम)/14 दिनांक 07 अगस्त, 2015, के द्वारा स्वीकृत अनुमानित परियोजना लागत के अनुक्रम एवं मानकों के आधार पर सम्पूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत कुल रू0 14937.65 करोड (भूमि अधिग्रहण की लागत रू0 2919.22 करोड सहित) का अनुमोदन प्रदान करते हुए परियोजना के विभिन्न मदों में धनराशि स्वीकृत की गयी थी। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक शासन द्वारा स्वीकृति/अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 11939.67 करोड है। इलाहाबाद बैंक से परियोजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु रू0 1530.31 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 1417.81 करोड का आहरण किया गया है। इस प्रकार उक्त परियोजना हेतु कुल अवमुक्त/आहरित धनराशि रू0 13357.48 करोड है। कुल आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 13357.48 करोड है। परियोजना के निर्माणकर्ताओं को अनुबन्ध के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली **अवशेष धनराशि 82.30 करोड़** है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में परियोजना के निर्माणकर्ताओं द्वारा आगरा–लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड परियोजना के अनुरक्षण हेतु द्वितीय वर्ष 1.5 प्रतिशत अनुबन्ध लागत का व्यय की जाने वाली धनराशि रू0 175.13 करोड़ है, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 100.00 करोड का बजट प्राविधान किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुरक्षण हेतु **रू0 75.13 करोड़** की आवश्यकता होगी।

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु एक्सप्रेसवे पर चयनित स्थलों में से प्रथम चरण में 15 स्थलों पर पुलिस चौकियों के भवन–निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रथम अनुपूरक माग के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 26.19 करोड़ का बजट प्राविधान कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिससे चालू वित्तीय वर्ष में उक्त 15 पुलिस चौकियों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा एवं यातायात की सुरक्षा हेतु कुल रू0 **80.69 करोड़** की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार कुल धनराशि **रू0 264.31 करोड** का वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुपूरक माग के माध्यम से बजट प्राविधान हेतु शासन को प्रेषित किया गया था, जो शासन द्वारा बजट प्राविधान नहीं किया गया।

यह भी अवगत कराना है, कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु कुल बजट धनराशि रू0 1,000.00 करोड का प्रावधान किया गया है। जिसका उपयोग आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु किया जा सकता है और पृथक से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं करनी पडेगी। आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 **264.31 करोड़ की आवश्यकता है।**

चूकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में प्रथम चरण में परियोजना के निर्माणकर्ताओं को अनुबन्ध के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली अवशेष धनराशि 82.30 करोड़ एवं परियोजना के अनुरक्षण हेतु द्वितीय वर्ष 1.5 प्रतिशत अनुबन्ध लागत का व्यय की जाने वाली अवशेष धनराशि रू0 75.13 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिसका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में अवशेष उपलब्ध धनराशि में से पुर्नविनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.08.2019 को सम्पन्न हुई 49वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 20 अगस्त, 2019 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी